

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 21 दि० 12.11.16 में प्रकरण रखा गया।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज भट्टेले।

फरियादी ब्रजमोहन सहित अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव।


प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है। शर्तों के पालन हेतु समय चाहा गया था। फरियादी द्वारा प्रकरण में शर्तों के पालन हो जाने के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होना व्यक्त करते हुए लोक अदालत में राजीनामा पर आदेश करने हेतु निवेदन किया।


पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।


अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 325/34, 506 भाग दो भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर दफ्तर की धारा 320-8 उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति लाठी डण्डा अपील अवधि पश्चात् नष्ट कर व्ययनित किए जावें।


प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

  
सदस्य

  
सदस्य

  
पीठासीन अधिकारी  
12 के 0 गुप्ता  
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

12.11.16  
12.11.16



12.11.16

12.11.16

12.11.16

12.11.16